नगरीय विकास विभाग

(528)

क्रमांक प.7(9)नदिवि/2017 जयपुर, दिनांक:– 02/8/17

आदेश

विषयः–अवाप्त भूमि/सेक्टर रोड़ के बदले व अन्य भूमि के बदले भूमि देने के प्रकरणों बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवाप्ति/सेक्टर रोड़ में प्रभावित भूमि के प्रकरणों में नगर विकास न्यासों/प्राधिकरणों द्वारा भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाती रही है। इस संबंध में पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 22.12.2014 के अनुसार विकसित भूमि दिये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

"यदि अवाप्तशुदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवन का अलग से मुआवजा देय नही होगा। उसी योजना में किसी अन्य स्थान पर आवासीय भूमि आवंटित किये जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा देय होगा.........।"

उपरोक्त प्रावधान के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विकसित भूमि जिस योजना के लिए अवाप्त की गई है, उसी योजना में दी जावें। इसके अलावा सेक्टर रोड़ व अन्य कार्यो हेतु ली जाने वाली भूमि के बदले भूमि भी उसी स्थान/क्षेत्र/योजना में दी जावें। उस योजना में भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति में अन्यत्र भूमि दी जाती है तो ऐसे आवंटन की औचित्य सहित राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावें।

भवदीय,

2/8/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोय, नगरीय विकास, आवासान विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, जेयपुर।
2. नीजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासान विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान,जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
9. संयक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।